संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल ''डी'' विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक : 13/02/2023

–विज्ञप्ति–

–स्नातक मॉप–अप चरण (द्वितीय) काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा)–
–बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस/बी एन वाय एस–

म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2022 तथा म0प्र0 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2022 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।

प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत मॉप–अप चरण (द्वितीय) का काउंसिलिंग कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

क0	विवरण	दिनांक एवं समय
1	रिक्त सीटो की स्थिति	दिनांक 14/02/2023
2	पात्रताधारी अभ्यार्थियों की सूची का प्रकाशन	दिनांक 14/02/2023
3	अभ्यार्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फिलिंग)	दिनांक 15/02/2023 से 16/02/2023 रात्रि 11:59 बजे तक
4	महाविद्यालयवार मेरिट सूची प्रकाशन (1 x 10 के आधार पर)	दिनांक 17/02/2023
5	महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की तिथि (रिपोर्टिंग)	दिनांक 18/02/2023 प्रातः 10 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
6	महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 18/02/2023 दोपहर 02:00 बजे
7	महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश	दिनांक 18/02/2023 दोपहर 02:30 बजे से रात्रि 07.30 बजे तक

नोटः–

1– प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते है।

2– उपरोक्त काउंसिलिंग प्रकिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।

3– उक्त काउंसिलिंग प्रकिया में पृथक से ऑनलाइन आवंटन नही किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा की गई च्वाईस फिलिंग के आधार पर महाविद्यालयवार रियल टाईम मैरिट सूची जारी की जायेगी। जिसके विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे है।

4– नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल www.mponline.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहें।

प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित

13/2/23

औषधालय अधीक्षक
संचालनालय आयुष म0प्र0

17/d:\desktop\pankaj 2022\counselling2022\vigyapan 2022.docx

संचालनालय आयुष, म0प्र0

(भू–तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931
Fax (0755) 2760225

दिनांक : 13/02/2023

–दिशा–निर्देश–
–स्नातक मॉप–अप चरण (द्वितीय) काउंसिलिंग (स्टेट कोटा) –
–बी ए एम एस/बी एच एम एस/बी यू एम एस/बी एन वाय एस–

1– म0प्र0 आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2022 तथा म0प्र0 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम–2022 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म0प्र0 शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम0पी0 ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।

2– प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत मॉप–अप चरण की काउंसिलिंग के उपरान्त संभावित रिक्तियों की पूर्ति हेतु मॉप–अप (द्वितीय) चरण का काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी किया गया है।

3– काउंसिलिंग के प्रथम/द्वितीय/मॉप–अप चरण में प्रवेशित/मॉप–अप चरण में आवंटित/मॉप–अप चरण में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त सीट रिक्त करने वाले अभ्यर्थी मॉप–अप (द्वितीय) चरण हेतु पात्र नही होंगे।

4– उपरोक्त प्रकिया में सर्वप्रथम इच्छुक अभ्यर्थियों को च्वाईस फिलिंग का अवसर प्रदान किया जायेगा, जिसके आधार पर महाविद्यालयवार मैरिट प्रकाशित होगी।

5– अभ्यर्थी अपनी महाविद्यालयवार मैरिट क्रमानुसार इच्छुक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित समयावधि में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

6– महाविद्यालय में रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित समयावधि में उपस्थिति दर्ज न कराने की स्थिति में उन्हें प्रवेश का अधिकार नही रहेगा।

7– महाविद्यालय में निर्धारित समयावधि में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की महाविद्यालय स्तर पर पुनः मैरिट जारी की जायेगी जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

8– नियम/निर्देशों हेतु विभागीय वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in एवं एम0पी0 ऑनलाइन के पोर्टल www.mponline.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहें।

<u>प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित</u>

13/2/23

औषधालय अधीक्षक
संचालनालय आयुष म0प्र0